न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी-हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या-डिकी 106/2021

पंजीयन दिनांक 23.12.2021

सोसर पत्नी मांगीलाल जाति तेली निवासी मेघपुरा तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ हालमुकाम बिगोद तहसील मांडलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

-अपीलांट

बनाम

(1). कालू पिता नारायण जाति तेली निवासी मेघपुरा तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़।

(2). देऊ पिता नारायण पत्नी रामचन्द्र जाति तेली निवासी राई वालों की गली बेगूँ तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़।

(3). प्रेम पिता नारायण पत्नी कन्हैयालाल जाति तेली निवासी बह्मपुरी बेगूँ तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़।

(4). भूमिधारी तहसीलदार बेगूँ तहसील बेगूँ जिला जिला चित्तौड़गढ़।

-रेस्पोडेन्टगण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिकी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बेगूँ
प्रकरण संख्या 47/2013 निर्णय व डिकी दिनांक 17.12.2021

उपस्थित वक्त बहस-(1). छोगालाल जाट-अधिवक्ता अपीलांट
(2). कैलाश मंत्री - अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3
(3). पूरणमल स्वर्णकार-राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 4

निर्णय **दिनांक 22.11.2022**

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 ने एक वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के अन्तर्गत इस आशय

प्रस्तुत किया कि मौजा मेघपुरा तहसील बेगूँ की आराजी संख्या 341 रकबा 0.49 हैक्टेयर, आराजी संख्या 342 रकबा 0.30 हैक्टेयर, आराजी संख्या 343 रकबा 0.15 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.94 हैक्टेयर स्थित है। वादपत्र मे पारिवारिक सजरा भी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात नाराण , पन्नालाल पिता रामा तेली के स्वामित्व की होकर उनके नाम दर्ज रेकॉर्ड थी। उक्त आराजीयात के खाते मे पन्नालाल जी के फौत होने पर उनकी विरासत उनके भाई नाराण के नाम होनी चाहिए थी जो न कर राजस्व कर्मचारियों ने नामान्तरण संख्या 178 के माध्यम से वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को पन्ना का गोदपुत्र बता वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम कर दी जबकि वादी संख्या 1 कभी भी पन्ना के गौद नहीं गया जिससे नामान्तरण सख्या 178 की कार्यवाही अवैध है। उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात के सहखातेदार नाराण के फौत होन पर राजस्व कर्मचारियो ने नामान्तरण संख्या 319 दर्ज किया जिसमे वादीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 जो नाराण की पुत्रियां है, का अंकन नहीं किया एवं वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को पन्ना का गोदपुत्र बताकर, मांगीलाल जो जीतमल के गोद चला गया था जिसका मांगीलात पिता जीतमल के नाम अलग से राजस्व खाता अंकित होते हुए अवैध रूप से मांगीलाल की बेवा प्रतिवादी संख्या 1 अपीलांट के नाम नाराण की विरासत दर्ज कर दी जबकि नाराण की विरासत मांगीलाल, जीतमल के गोद चले जाने के कारण सिर्फ वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 के पक्ष मे दर्ज होनी चाहिए थी जिससे नामान्तरण संख्या 319 की कार्यवाही भी वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 के अधिकारों के मुकाबले प्रारंभ से शून्य व बेअसर है। उक्तानुसार नाराण एवं पन्नालाल के वारिस वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 के अलावा अन्य नहीं होने से पन्नालाल एवं नाराण के नाम उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात वादीगण रेस्पोडेन्टगण 1 से 3 के नाम दर्ज होना चाहिए थी, जो नही होने से वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी है। अन्त मे उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात को वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 की खातेदारी मे दर्ज किये जाने व प्रतिवादी संख्या 1 अपीलांट को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित किये जाने का निवेदन किया।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण अपीलांट को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण अपीलांट जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रतिवादी संख्या 1 अपीलांट की ओर से पत्रावली मे जवाबदावा मय मजिद कथन प्रस्तुत किया गया। उभय पक्षकारान के अभिवचनों के अनुसार पत्रावली मे अधीनस्थ विद्वान विचारण

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम की जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य नियत की गई। साक्ष्य वादी मे मोहनलाल, दयाशंकर व कालूराम के शपथ-पत्र प्रस्तुत हुए तत्पश्चात प्रतिवादी की ओर से जिरह की गई जो कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे रेकॉर्ड पर है । तत्पश्चात पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी नियत की गई। साक्ष्य प्रतिवादी मे अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर अधिवक्ता वादी रेस्पोडेन्टगण 1 से 3 की ओर से जिरह की जाकर पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। दिनांक 02.09.2021 उभय पक्षकारान की बहस सुनी जाकर दिनांक 17.12.2021 को वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात मे से प्रतिवादी संख्या 1 अपीलांट का नाम राजस्व रेकॉर्ड से विलोपित किया जाकर वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज किये जाने व प्रतिवादी संख्या 1 अपीलांट को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की है।

अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण वादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्टगण 1 से 3 वादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई ।

अधिवक्ता अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रतिवादी संख्या 1 अपीलांट की ओर से पत्रावली मे जवाबदावा मय मजिद कथन प्रस्तुत किया जाकर वादपत्र मे वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 के पति मांगीलाल को गलत रूप से जीतमल के गोद जाना बताया गया है जबकि अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 का पति मांगीलाल कभी जीतमल के गोद नही गया। मांगीलाल स्वर्गीय नारायण की सम्पत्ति पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रतिवादी पन्नालाल के गोद गया है व पन्नालाल की विरासत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी के नाम जरिये विरासत दर्ज होकर कालू मुतबन्ना पन्नालाल तेती 1/2

राजस्व उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

रेखातेदार दर्ज रिकार्ड है व उसी अनुसार काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है जिससे नामान्तकरण संख्या178 व नामान्तकरण संख्या 319 पूर्णतया वैध दस्तावेज है व उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात पर नारायण की मृत्यु के पश्चात मांगीलाल व मांगीलाल की मृत्यु हो जाने से अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 काबिज होकर उपयोग उपभोग करती चली आ रही है जिससे वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र निरस्त किये जाने योग्य है। इस प्रकार अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत उक्त जवाबदावा मय मजिद कथन व वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 की ओर से प्रस्तुत दावे के अनुसार अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने तनकीयात कायम की जाकर तनकीवार निर्णय पारित करते हुए वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र प्रमाणित होना मानते हुए विवादित कृषि आराजीयात मे से अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 का नाम विलोपित किया जाकर वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 का नाम दर्ज किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जो अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है। साथ ही यह भी निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी नाराण के जीवनकाल मे ही पन्नालाल के गोद चला गया व पन्नालाल की विरासत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी के नाम जरिये विरासत दर्ज हो चुकी है रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 का नाराण ने विवाह करवा दिया जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 अपने ससुराल मे निवास करती चली आ रही है। नाराण के स्वर्गवास के पश्चात नाराण का विरासतीय नामांतरण संख्या 319 अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 के पति स्वर्गीय मांगीलाल की वारिस होने से अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर स्वीकृत किया गया है जिस पर अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 काबिज होकर उपयोग उपभोग करती चली आ रही है फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विरचित तनकी संख्या 1 का निर्णय वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 के पक्ष मे व तनकी सख्या 2 का निर्णय अपीलांट प्रतिवादिया संख्या 1 के विरूद्ध किया जाकर रेस्पोडेन्टगण वादीगण का वादपत्र स्वीकार किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की जो अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। साथ ही यह भी निवेदन किया कि मांगीलाल को जीतमल का गोदपुत्र होना दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित नही है। विवादित कृषि आराजीयात रामा की थी जो विरासत से नाराण व पन्नालाल के नाम दर्ज हुई। पन्नालाल जो कि नाराण के जीवित रहते फोत होने से उसकी आराजीयात कालू के नाम गोदपुत्र की हैसियत से विरासत से दर्ज हुई। नाराण के जीवित रहते हुए उसके पुत्र मांगीलाल की मृत्यु हो गई तत्पश्चात नाराण की मृत्यु हो जाने से उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात उसके मृतक पुत्र मांगीलाल की बेवा अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 के नाम विरासत से दर्ज हुई तब से उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात पर अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण 1 से 3 वादीगण ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 की पैतृक कृषि आराजियात है जो उनके दादा रामा से उनके पिता नाराण को प्राप्त हुई । नाराण के दो पुत्र मांगीलाल व वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व दो पुत्रिया वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 2 व 3 है। मांगीलाल जो कि जीतमल के गोद चला गया जिससे नाराण की मृत्यु के पश्चात उक्त कृषि आराजीयात वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 के नाम विरासत से दर्ज की होनी चाहिए थी परन्तु मांगीलाल जो की अपने पिता नाराण की मृत्यु से पूर्व ही फोत हो गया था तत्पश्चात नाराण के फोत हो जाने से उक्त सम्पूर्ण कृषि आराजीयात मांगीलाल की बेवा अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 के नाम संहवन से दर्ज की गई। उक्त सभी तथ्यों को वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 ने दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यों से प्रमाणित करवाया है जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात मे से अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 का नाम विलोपित कर वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 के नाम खातेदारी मे दर्ज किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधि सम्मत होने से अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य नही। अपनी बहस के समर्थन मे अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से न्यायिक दृष्टांत 2016 पार्ट 1 सी.जे. पेज 493 प्रस्तुत किया। अन्त मे अपील अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को यथावत रखे जाने की प्रार्थना की।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ने अपनी बहस में अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत होना बताते हुये अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया गया ।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 वादीगण ने अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 4 प्रतिवादीगण के विरुद्व घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पत्र प्रस्तुत किया उक्त वाद पत्र में अपीलांट प्रतिवादियां संख्या 1 की ओर से जवाब दावा मय मजिद कथन प्रस्तुत किया। अधीनस्थ विद्वान न्यायालय ने उभयपक्षो के अभिवचनो

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अनुसार पत्रावली मे तनकीयात विरचित कर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने उक्त तनकीयात पर साक्ष्य लिवाई जाकर तनकीवार निर्णय पारित करते हुये तनकी नम्बर 1 का निर्णय रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 वादीगण के पक्ष में व तनकी संख्या 2 का निर्णय अपीलांट प्रतिवादियां के विरूद्ध करते हुये रेस्पोडेन्ट संख्या 1 स 3 वादीगण का वाद पत्र निर्णय व डिक्री किया है तनकी नम्बर 2 जो अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा कायम की गयी है जिसमें अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 के पति मांगीलाल को जीतमल के गोद जाना बताया है। जीतमल की मृत्यु उपरान्त जीतमल के विधिक वारिसान मुतवफी के लडके मांगीलाल का कब्जा होने के कारण मांगीलाल का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित किया गया है प्रतिवादिया अपीलांट खातेदार काश्तकार रही है। रेस्पोडेन्टगण वादीगण ने नारायण की विरासत अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 के नाम पर ग्राम पंचायत मेघपुरा के द्वारा दिनांक 26.04.1989 को दर्ज करने का निर्णय पारित किया। उक्त नामान्तकरण सं. 319 के सम्बन्ध मे रेस्पोडेन्टगण वादीगण अपील प्रस्तुत करने के लिये स्वतन्त्र थे। सन् 1989 से उक्त कृषि आराजीयात अपीलान्ट प्रतिवादिया के नाम दर्ज चली आ रही है। इतने लम्बे समय के बाद अपीलान्ट के पति मांगीलाल को जीतमल के गोद जाना बताते हुए वह रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी स्वंय को पन्नालाल के गोद नही जाना बताते हुए वादपत्र प्रस्तुत किया है। जबकि राजस्व रेकार्ड के अवलोकन से रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 के पिता नारायण व पन्नालाल के नाम संयुक्त कृषि आराजीयात दर्ज रेकार्ड रही है। नारायण की मृत्यु के समय रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी बतौर मुत्तबन्ना पन्नालाल विवादित आराजीयात मे सहखातेदार दर्ज रेकार्ड है। जिससे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी का यह कथन कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी पन्नालाल का गोद पुत्र नही है। अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 का पति मांगीलाल जीतमल का गोदपुत्र होते हुए अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 के नाम नामान्तकरण दर्ज हुआ है ऐसी स्थिति मे अपीलान्ट का पति व रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी अलग-अलग समय मे पन्नालाल व जीतमल के गोद जाना राजस्व रेकार्ड मे अंकित हुआ है। व अलग-अलग समय मे नामान्तकरण स्वीकृत हुए है। ऐसी स्थिति मे गोद का बिन्दु तय किया जाकर विरासती अधिकार तय किया जाना अपेक्षित है। फिर भी अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने उक्त तथ्यो को निर्णित किये बगैर रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 वादीगण का वादपत्र स्वीकार किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जिसके विरूद्ध अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बैगू प्रकरण संख्या 47/2013 निर्णय व डिक्री दिनांक 17.12.2021 निरस्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पत्रावली में उभयपक्षो के अभिवचनो के अनुसार कायम की गयी तनकीयात पर उभयपक्षों की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यो का पुनः परीक्षण कर गोद जाने के बिन्दु को तय किया जाकर उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये आदेश 20 नियम 5 जा.दी की पालना करते हुये गुणावगुण अजसरे तनकीवार नव निर्णय पारित करें । उभयपक्षकारान सुनवाई हेतु अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे दिनांक 26.12.2022 को स्वंय उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 22.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो । अधीनस्थ विद्वान विचारण की पत्रावली निर्णय की सत्य प्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावें ।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(हरि सिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौडगढ